

Date: 23-04-2015

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

फार्म सी (विनियम (18) देखें) FORM C (See Regulations 18)

INSURANCE REGULATORY AND **DEVELOPMENT AUTHORITY**

(बीमा दलाल) विनियम, 2013 (Insurance Brokers) Regulations, 2013

लाइसस क नवाकरण का प्रमाणपत्र		
ला	इसेंस संख्या: CERTIFICATE OF RENEWAL OF LICENCE	
	439	1)
1	मेमर्म बीमा जिल्हा इंग्रेगाउँ विश्वाल मेमर्म बीम जिल्हा प्राणिश प्रत्यक्ष दलाल	
1.	का लाइसेंस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की धारा 18 तथा बीमा विनियामक और विकास	
	प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है। (LIFE & GENERAL)	
	The Licence of M/s. <u>RIMA GENIE INSURANCE BROKING PVT. LTD.</u> category <u>DIRECT</u> Broker is hereby renewed under section 18 of Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999).	
2.	यह लाइसेंस .२७०५-२०।५ से २६-०५-२०।८ तक विधिमान्य होगा।	
	This Licence shall be valid from 27-04-2015 to 26-04-2018	
3.	हैदराबाद में 23 दिन अपूर्ण दो हजार <u>पन्द्र</u> को जारी किया गया Issued at Hyderabad on 23 rd day of APRIL, Two Thousand FIFTEEN	
4	यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999(1999 का 4), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले	
	दिष्ण चिटेषों परिपन्नों और निदेशों का पालन करेगा	
	This Licence is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all provisions of the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 (4 of 1999), the Rules and Regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.	
	स्थानः हेट्राळाद् आदेशानुसार/By Order	
	Place: HYDERABAD	
	Place: अप्रमा किन्यामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से	5

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority